राठ महाविद्यालय

पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सम्बद्ध : हे0न0ब0ग0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

विवरणिका

शौर्य-दीवार

राठ महाविद्यालय पैठाणी में
आपका हार्दिक स्वागत

पुरातन छात्र

राठ महाविद्यालय पैठाणी

राठ शिक्षा विकास समिति (रजि०)

राठ महाविद्यालय

ग्राम व पो०-पैठाणी, पट्टी-कण्डारस्यूँ, जिला - पौड़ी गढ़वाल-246123,

दूरभाष : 01348-227620

सम्बद्धः हे०न०ब०ग० केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

आमुख

वर्तमान सत्र में आप सभी शिक्षार्थियों का अभिनन्दन है। हमारा निरन्तर यह प्रयास रहा है कि सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय के प्रेरणायुक्त वातावरण में उनकी रुचि के विषयों में उच्चस्तरीय व गुणात्मक शिक्षा मिले, जिससे वे अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ आजीविका के क्षेत्र में भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। महाविद्यालय में कला संकाय, शिक्षक शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित एवं अपनी सम्पूर्ण क्षमता से सतत् क्रियाशील हैं।

यह सर्वविदित है कि राठ महाविद्यालय पैठाणी की स्थापना सुदूर ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के प्रसार एवं युवा वर्ग को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए की गयी है। महाविद्यालय के संस्थापक मा० श्री गणेश गोदियाल जी (पूर्व विद्यायक, श्रीनगर एवम् अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति) के प्रयासों से यह महाविद्यालय स्थापित हुआ है। सन् 2003 से प्रारम्भ हुआ, राठ महाविद्यालय आज श्री गणेश गोदियाल जी की प्रेरणा से सतत् विकास की ओर अग्रसर है।

महाविद्यालय के प्रबन्धक जी की दृढ़ इच्छा शक्ति इस संस्थान को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। आने वाले वर्षों में यहाँ विभिन्न उपयोगी पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जाने हैं।

हम सब की इच्छाशक्ति एवं सकारात्मक सोच राठ महाविद्यालय को नये मुकाम एवं उच्च शिखर पर स्थापित करेगी। मनसा वाचा कर्मणा महाविद्यालय की प्रगति हेतु हम सब निरन्तर कार्यरत रहेंगे, यही हमारा संकल्प है।

प्राचार्य
राठ महाविद्यालय
पैठाणी, पौड़ी (गढ़वाल)

1. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

1. प्रवेश विवरणिका अच्छी प्रकार पढ़ लें। इसमें वर्णित प्रावधान तथा विनियम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय परिवर्तनीय हैं।

2. महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है। प्राचार्य द्वारा कोई भी प्रवेश कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

3. **प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा का प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**

4. महाविद्यालय में प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगें। **कला स्नातक पाठ्यक्रम** के लिए मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर किया जाएगा, जबकि **शिक्षा स्नातक (बी0एड्0) और शारीरिक–शिक्षा स्नातक (बी0पी0एड्0)** पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट का निर्धारण हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

5. प्रवेश के लिए **निर्धारित समय के अन्दर आवेदन–पत्र जमा करना अनिवार्य है,** परन्तु आवेदन–पत्र का जमा होना मात्र महाविद्यालय में प्रवेश की गॉरन्टी नहीं है।

6. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के अधिवासियों के लिए होंगीं। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे सामान्य वरीयता सूची में शामिल हों। इसके अभाव में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों की सूची से प्रवेश दिया जाएगा।

7. **कृपया अपना प्रवेश आवेदन–पत्र भरते समय जाँच लें कि–**

I. प्रवेश आवेदन–पत्र विधिवत भरे गये हैं तथा इसमें निर्धारित स्थान पर आपके तथा आपके अभिभावक के हस्ताक्षर हैं।

II. प्रवेश आवेदन–पत्र में आपका फोटोग्राफ, नाम तथा पता वही है जो प्रवेश परीक्षा फार्म में भरा गया था।

III. **संलग्नक**– प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक भी नत्थी करें–

a. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

b. अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

c. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) मूल रूप में (महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य)।

d. पूर्व संस्था के प्राचार्य अथवा किसी राजपत्रित (गजटेड) अधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र।

e. रैगिंग रोकथाम हेतु शपथ पत्र स्वयं तथा अभिभावक के हस्ताक्षर सहित।

f. जाति प्रमाण–पत्र (उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा)

g. आय प्रमाण–पत्र (छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन भरा जायेगा।)

h. किसी अन्य विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उस विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवजन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन सार्टिफिकेट) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (प्रमाण–पत्र की मूल प्रतिलिपि परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ लगायें।)

8. अपने प्रवेश आवदेन–पत्र के साथ अंक–तालिका या जाति/अधिमान प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति नत्थी न करें। केवल स्वप्रमाणित प्रतियाँ ही लगायें। मूल–प्रतियाँ साक्षात्कार/सत्यापन/ काउंसिलिंग/प्रवेश के समय प्रस्तुत करनी होंगीं।

9. सही एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ प्रवेश आवेदन–पत्र समस्त संलग्नों के साथ निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में जमा हो जाना चाहिए। मूल प्रमाण–पत्रों को छोड़ कर शेष संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियाँ स्वप्रमाणित करना आवश्यक है। **महाविद्यालय के प्रवेश आवेदन–पत्र पर छात्र/छात्रा का वही नाम मान्य होगा जो कि उसके हाई–स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र पर अंकित होगा। उपनाम अनुमन्य नहीं है।**

10. अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन–पत्र में संलग्न नहीं किया जा सकेगा।

11. ड्रॉप आउट्स व अनुचित साधन प्रयोग के दोषी या दोषारोपित छात्रों को किसी भी अन्य विषय या कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि वे इस तथ्य को छिपाकर प्रवेश ले लेते हैं तो जानकारी होने पर तुरन्त उनका प्रवेश बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दिया जायेगा। महाविद्यालय के नियमित छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए (अर्थात् ड्रॉपर्स हैं), पुनः प्रवेश के पात्र नहीं होंगें।

12. जिन प्रवेशार्थियों के परीक्षाफल अनुचित साधन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से रोके गये हैं वे भी अपने आवेदन–पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक अवश्य जमा करा दें।

13. दुराचरण अथवा अनवरत प्रमाद के दोषी छात्र/छात्रा को अर्थदंड सहित निलम्बित, निष्कासित, बहिष्कृत या विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिन छात्रों की गतिविधियाँ नियंता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं, उन्हें प्रवेश देने से रोका जा सकता है अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। शासकीय आदेश संख्या अ0शा0 2421/15.10.87/134/86 दिनांक 8 मई, 1987 के अनुसार अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रुचि न रखने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है, तो इस तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

14. प्रवेशार्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन–पत्रों में कोई असत्य सूचना न दें और न ही कोई तथ्य छिपाएं। उनके द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका और प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय/परीक्षा निकायों को सत्यापन हेतु भेजी जा सकती हैं। सत्यापन के उपरान्त यदि कोई पत्रजात असत्य पाया जाता है तो न केवल प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

15. मिथ्या/अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। अगर त्रुटिवश या मिथ्या सूचना के आधार पर किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश प्राप्त हो गया हो तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर संबन्धित नियमित प्रवेश को निरस्त करने का विधि सम्मत अधिकार प्राचार्य को होगा।

16. वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) में चयन के बाद अभ्यर्थी को महाविद्यालय का प्रवेश आवेदन–पत्र सभी वांछित प्रमाण–पत्रों सहित भरना होगा। प्रवेश समिति काउन्सिलिंग के समय मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी। सभी प्रमाण–पत्रों के सही पाये जाने पर ही प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की संस्तुति की जाएगी।

17. उपस्थिति पंजिका में किसी भी छात्र/छात्रा का नाम सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा तभी लिखा जायेगा जबकि छात्र/छात्रा फीस रसीद एवं प्रमाणित परिचय–पत्र उन्हें दिखायेगा।

18. महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बन्धी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का दायित्व है कि वह समय–समय पर महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित सूचनाओं का अवलोकन करते रहें।

19. **''ओपेन स्कूल''** से पाँच विषय लेकर प्लस 2 (+2) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह होंगें।

20. हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में Casual Admission पूर्णतः वर्जित है।

21. प्रवेश लेने के पश्चात् सभी छात्र/ छात्रायें अपने परिचय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में स्वयं ही उपस्थित हों। **अपना पहचान पत्र किसी अन्य को न दें।**

22. शुल्क विमुक्ति के लिए यथासमय निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन अवश्य कर दें।

23. प्रवेशार्थियों को शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए क्योंकि संरक्षित–निधि वापस लेते समय इसे तत्सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र के साथ कार्यालय में जमा करना होता है।

24. सभी छात्र/छात्रायें 'लाइब्रेरी कार्ड' बनवाने के लिए पुस्तकालय में निर्धारित काउन्टर पर स्वयं उपस्थित होकर अपना 'लाइब्रेरी कार्ड' बनावायें।

25. पाठ्यक्रम के नवीन वर्ष/सेमेस्टर में तभी प्रवेश दिया जाएगा, जब छात्र/छात्रा पिछले वर्ष/सेमेस्टर में पुस्तकालय से निर्गत पुस्तकें जमा कर देंगें और वहाँ से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगें।

26. विषय/संकाय एक बार आवंटित हो जाने पर परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

27. अनुर्त्तीण होने वाले छात्रों को उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

28. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें तथा आवेदन–पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि, योग्यता सूची, प्रवेश हेतु चयन, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आदि सभी सूचनायें महाविद्यालय/ विभाग के सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगीं। इसलिये सभी प्रवेशार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से महाविद्यालय/विभागों के सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट (www.raathmahavidyalaya.com) का स्वयं अवलोकन करते रहें।

29. महाविद्यालय के सभी संकायों में **ड्रेस कोड लागू** है। समस्त छात्र–छात्राओं के लिए **ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य** है, जिसका उल्लंघन होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

30. प्रवेश सम्बंधी अन्य नियमों में हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगें।

- विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य सीटों के अनुरूप ही प्रवेश दिए जायेंगें।

2. मेरिट आधारित प्रवेश

छात्रों को प्रवेश आवेदन–पत्र भरकर जमा करने के बाद मेरिट में स्थान पाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। मेरिट लिस्ट (वरीयता सूची) के निर्धारण हेतु प्रवेश समिति होगी जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रवेश आवेदन–पत्रों के अनुरूप अर्हकारी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों और अधिमानी अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करायेगी।

मेरिट लिस्ट तथा वेटिंग लिस्ट निर्धारित तिथि को महाविद्यालय/विभाग के सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी। अभ्यर्थी इस लिस्ट को देखना स्वयं सुनिश्चित करेंगें। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जायेगी।

प्रवेश हेतु चयनित सभी अभ्यर्थियों को लिस्ट में निर्दिष्ट तिथि को प्रवेश साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन तथा विषय में उनकी अभिरुचि का आकलन किया जायेगा। प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में मेरिट लिस्ट मे नाम होने के बाद भी प्रवेश देने से वंचित कर दे। साक्षात्कार के समय सभी अभिलेखों की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य होगा।

अपने आवेदन–पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्नक करें। अधूरे भरे आवेदन–पत्र जिनके साथ वांछित संलग्नक नहीं लगे हैं, निरस्त कर दिये जायेंगें।

मेरिट तैयार करने में पूरी सावधानी बरती जाती है, किन्तु फिर भी यदि कोई त्रुटि किसी समय ज्ञात होती है तो उसे दूर किया जायेगा, चाहे इससे किसी अभ्यर्थी की मेरिट पर कोई भी प्रभाव पड़ता हो।

त्रुटिवश मेरिट सूची में आया कोई नाम प्रवेश का हकदार नहीं होगा। उसे किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति को होगा।

यदि 'मेरिट लिस्ट' के अभ्यर्थियों के प्रवेश के बाद सीटें रिक्त रहती हैं तो 'वेटिंग लिस्ट' के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा। वेटिंग लिस्ट' एक से अधिक भी हो सकती है, जो सीटें रिक्त होने पर क्रमशः घोषित की जायेगी। सभी संकायों की कक्षाओं में प्रवेश हेतु सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो उसका दावा समाप्त हो जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है।

3. आरक्षण

(क) प्रत्येक कक्षा में उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53 (1) 2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 जिसको शासनादेश संख्या 1968/XXX (2) 2006 दिनांक 24 जुलाई 2006 व शासनादेश दिनांक 27.10.2017 द्वारा संशोधित किया गया द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा। तदनुसार अनुसूचित जाति 19% अनुसूचित जनजाति 4% अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमीलियर) 14%। इसके अतिरित उपरोक्त श्रेणियों में निम्न प्रकार में क्षैतिज आरक्षण देय होगा, महिलाएँ/ छात्राएँ 30% भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों 2%, दिव्यांग 5%, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2%। आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें

(ख) प्रत्येक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम

अर्हता अंको में अधिकतम 5 अंको की छूट दी जायेगी। बशर्ते विश्वविद्यालय द्वारा किसी कक्षा हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित न किये हों EWS श्रेणी को 10% आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा में सीटें बढ़ाने पर ही अनुमान्य होगा।

4. प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज)

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की खण्डपीठ के आदेश सं.350/2016 के आधार पर निम्नप्रकार वरीयता अंक (वेटेज) दिये जायेंगेः 'क' श्रेणी (Category 'A') (स्वयं द्वारा अर्जित) कुल अधिकतम 5% (केवल सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर)

1. खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्रा (कुल अधिकतम 5%)
   (i) राज्य/जोनल 3% (ii) राष्ट्रीय स्पर 5%
2. एन.सी.सी. (कुल अधिकतम 3%)
   (i) 'B' प्रमाण पत्र 1% (ii) 'C' प्रमाण पत्र 2%
   (iii) राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी/राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 3%
3. एन.एस.एस. (कुल अधिकतम 3%)
   (i) एन.एस.एस. 'B' प्रमाण पत्र 1%
   (ii) एन.एस.एस. 'C' प्रमाण पत्र 2%
   (iii) राष्ट्रीय एकता शिविर या गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी 3%
4. स्कउट/रोवर्स/रेंजर्स (कुल अधिकतम 2%)
   (i) राज्य पुरस्कार 1% (ii) राष्ट्रपति पुरस्कार 2%
5. AIU अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान ग्रहण करने पर
   व्यक्तिगत प्रथम 4% द्वितीय 3% तथा तृतीय 2%
   टीम प्रथम 3% द्वितीय 2% तथा तृतीय 1%
   (अधिकतम 4%)

5. सत्रीय परीक्षा :–

महाविद्यालय में CBCS प्रणाली लागू है। जिसके अर्न्तगत प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में सत्रीय परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। सत्रीय परीक्षाओं का आयोजन केवल एक बार समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार 200/–रू0 प्रति प्रश्न पत्र शुल्क जमा किये जाने के पश्चात ही की जायेगी परन्तु यह अनुमति अत्यंत विषम परिस्थितियों में ही प्रदान की जायेगी।

6. नामांकन

ऐसे समस्त छात्रों को जो हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में नामांकित नहीं है, अपना नामांकन इस विश्वविद्यालय में कराना होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन शुल्क तथा प्रवजन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन सार्टिफिकेट) जहाँ आवश्यक हो, का आवेदन पत्र प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा। यह छात्र का उत्तरदायित्व है कि वह नामांकन आवेदन–पत्र भरे तथा मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करे।

7. पाठ्यक्रम, अवधि एवं अध्ययन विषय

महाविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित हैं–

a. स्नातक कला (B.A.)

– तीन वर्ष : छः सेमेस्टर

नोटः– स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में कुल सात विषय संचालित हैं–(1) हिन्दी साहित्य (2) अंग्रेजी साहित्य (3) इतिहास (4) अर्थशास्त्र (5) भूगोल (6) सैन्य विज्ञान (7) राजनीति विज्ञान

बी0ए0 प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र भूगोल विषयों का चयन तभी कर सकते हैं जब उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उक्त विषय में उत्तीर्ण की हो या विज्ञान विषय के साथ उतीर्ण हो।

b. स्नातक शारीरिक शिक्षा (B.P.Ed.)

–दो वर्ष : चार सेमेस्टर

c. स्नातक शिक्षा (B.Ed.)

–दो वर्ष : चार सेमेस्टर

नोटः– विषय चयन सम्बन्धी सूचना पढ़कर ही विषयों का चयन करें। गलत विषय चयन करने के पश्चात् होने वाली हानि का उत्तरदायित्व केवल छात्र का ही होगा।

8. न्यूनतम् अर्हता

महाविद्यलय में संचालित विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हताएँ इस प्रकार हैं–

a. स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट

अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगें।

b. बी0पी0एड्0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगें।

c. बी0एड्0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हे0ने0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

नोट– अनु0 जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।

7. उपस्थिति

कोई भी छात्र/छात्रा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति है, विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के कुलपति इस प्रावधान में पाँच प्रतिशत (5:) तक की छूट दे सकते हैं।

किसी भी प्रयोगात्मक विषय में सैद्धान्तिक और प्रायोगिक अलग–अलग पाठ्यक्रम माने जायेंगें और उनमें अलग–अलग उपस्थिति आवश्यक होगी। सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम में उपस्थिति का तात्पर्य व्याख्यान, ट्यूटोरियल और सेमिनार में उपस्थित रहने से हैं। महाविद्यालय में अध्यापन प्रारम्भ होने की तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी, न कि प्रवेश की तिथि से।

8. परिचय पत्र

प्रवेश के समय सभी छात्रों को शुल्क रसीद के साथ परिचय–पत्र जारी किया जाता है। निर्धारित तिथि तक इस परिचय–पत्र को स्वयं मुख्य नियन्ता (चीफ प्राक्टर) से हस्ताक्षरित करा लेना अनिवार्य है। छात्र हर समय अपना परिचय–पत्र अपने पास रखें और जब भी महाविद्यालय अधिकारी उसे देखने की माँग करें, तुरंत दिखायें। यदि परिचय–पत्र खो जाये तो इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) पास के पुलिस थाने या पुलिस चौकी में अवश्य दर्ज करानी होगी। परिचय–पत्र की द्वितीय प्रति महाविद्यालय कार्यालय से पचास रूपये (50/) शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ मुख्य नियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें। इस विषय में मुख्य नियन्ता का निर्णय ही अन्तिम होगा। **छात्र/छात्रायें अपने बने हुये परिचय–पत्र मुख्य नियन्ता कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करें।** अन्य किसी का परिचय पत्र कोई छात्र प्राप्त नहीं कर पायेगा ।

9. पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पूर्णरूपेण सुसज्जित पुस्तकालय है। इसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न लेखकों की पुस्तकें, विश्वकोश, जनरल्स, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र–पत्रिकाएँ आदि उपलब्ध रहती हैं। पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों को एक बार में केवल 28 दिनों के लिए निर्गत किया जाता है।

10. महाविद्यालय की सदस्यता

महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तब तक अनन्तिम (प्रोविजनल) माने जायेंगें, जब तक वे प्राचार्य द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिये जाते हैं। सभी छात्र महाविद्यालय के सदस्य तब माने जायेंगें, जब उनका प्रवेश आवेदन प्राचार्य द्वारा स्वीकार कर लिया जाये और महाविद्यालय का सम्पूर्ण शुल्क तथा प्राचार्य द्वारा वांछित आवश्यक पत्रजात जमा कर दिये गये हों। किसी भी छात्र द्वारा महाविद्यालय शुल्क जमा कर देना मात्र उसका महाविद्यालय में प्रवेश का दावा स्थापित नहीं कर देता।

यदि किसी छात्र/छात्रा का पिछले शैक्षिक सत्र में चाल–चलन संतोषजनक न रहा हो, या वह परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग अथवा अभद्र व्यवहार का दोषी हो अथवा किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो, जिसका सम्पर्क अन्य छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो ऐसे प्रवेशार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

यदि कोई छात्र/छात्रा महाविद्यालय की कोई सम्पति, प्रयोगशाला उपकरण या कोई अन्य सामान आदि वापस नहीं करता अथवा उसके द्वारा खोये किसी समान की पूर्ति अथवा उसके मूल्य का भुगतान नहीं करता है तो प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित करने की संस्तुति विश्वविद्यालय को करें।

11. खेल सुविधाएँ

महाविद्यालय में एक क्रीड़ा परिषद है, जो महाविद्यालय

के छात्र/छात्राओं को विभिन्न खेलों यथा फुटबॉल, वालीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबिल–टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, बॉडी–बिल्डिंग आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराती है। क्रीड़ा परिषद समय–समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराती है जिनमें छात्र/छात्रायें भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर–महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया अगस्त माह में प्रारम्भ होती है। उपरोक्त खेलों में भाग लेने के इच्छुक छात्र/छात्रायें क्रीड़ा कार्यालय में क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष/सचिव से सम्पर्क कर सायं 5 से 7 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

12. राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की एक इकाई में 100 छात्र/छात्रायें (स्वयंसेवी) होते हैं तथा प्रत्येक इकाई का एक कार्यक्रम अधिकारी (महाविद्यालय का शिक्षक/शिक्षिका) होता है। जो कि अपनी इकाई की गतिविधियों का संचालन करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्र/छात्रा को लगातार दो वर्ष पंजीकृत रहना आवश्यक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मुख्य रूप में दो प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है–

1. नियमित कार्यक्रम (प्रत्येक वर्ष 120 घंटे, दोनों वर्षों में कुल 240 घण्टे)
2. सात दिवसीय रात–दिन का विशेष शिविर कार्यक्रम

सम्प्रति महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 1.0 (एक) इकाई आवंटित है, जिसके अंतर्गत 100 स्वयंसेवियों का नामांकन किया जाता है।

क्र0 सं0	इकाई की प्रकृति	इकाइयों की संख्या	आवंटित छात्र/छात्रा संख्या
1	स्नातक छात्र	1.0 (एक)	100

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 319/xxiv(9) रा0से0यो0/76(06) दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन–रात के एक शिविर में भाग लेने पर स्वयंसेवी को **A** प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम वर्ष के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित B प्रमाण–पत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी। B प्रमाण–पत्र परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने अर्थात् उत्तीर्ण होने तथा नियमित कार्यक्रम में 2 वर्ष पश्चात् 240 घण्टे की सहभागिता पूर्ण होने पर ही स्वयंसेवी को प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। B प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्वयंसेवी को निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर C प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा–

I. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में लगातार 2 वर्षों में 240 घण्टे की सहभागिता।

II. राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शत–प्रतिशत उपस्थिति।

III. राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित रात व दिन के कम से कम एक विशेष शिविर में सक्रिय सहभागिता।

IV. राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी का कार्य व्यवहार उत्तम हो तथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 312/xxiv(1) 2008–11/2005 दिनांक 5 जून, 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र धारकों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर/अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिमानी (वेटेज) अंक प्रदान किये जाते हैं।

13. महाविद्यालय पत्रिका

छात्र/छात्राओं में सृजनात्मक अभिरुचि उत्पन्न करने के ध्येय से महाविद्यालय प्रतिवर्ष 'राठ गौरव' नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमें छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की रचनाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।

14. विविध समितियाँ

महाविद्यालय के कुशल संचालन एवं छात्रों के कल्याण हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है –

A. महाविद्यालय प्रवेश समिति –

B. प्राक्टोरियल बोर्ड –

C. परीक्षा समिति (बाह्य) –

D. परीक्षा समिति (आंतरिक) –

E. एण्टी रैगिंग सेल–

F. जेंडर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट –

G. छात्र कल्याण परिशद–

H. क्रीड़ा परिषद –

I. सांस्कृतिक परिषद–

J. पुस्तकालय समिति–

K. छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ–

L. सूचना अधिकार प्रकोष्ठ–

M. कैरियर प्लेसमेन्ट सेल–

N. महाविद्यालय स्वच्छता समिति–

O. वार्षिक पत्रिका –

P. बागवानी समिति–

Q. क्रय विक्रय समिति–

R. निर्माण समिति –

S. प्रोटोकाल समिति–

15. संरक्षित जमा एवं वापसी

पुस्तकालय : रू0 60/–

प्रयोगशाला : रू0 60/–

1. संरक्षित जमाराशि टूट–फूट और क्षति की भरपाई यदि कोई हो काटने के बाद वापस की जायेगी।
2. यह जमाराशि छात्र को अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने अथवा महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर ही देय होगी तथा इसका भुगतान टूट–फूट या क्षति की भरपाई करने के बाद किया जायेगा।
3. छात्र को जमाराशि वापस लेने से पूर्व महाविद्यालय की सभी देय राशियाँ, शुल्क अथवा सम्पत्ति वापस करनी होगी।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय से स्थानान्तरण लेने पर छात्र को महाविद्यालय की सभी सम्पत्ति वापस करनी होगी।

यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते या इसके लिए किसी को प्रेरित करते हुए पाया गया/पायी गयी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेश विवरणिका में दिये गये शपथपत्र पर प्रवेशार्थी तथा उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करके प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है।

17. जेंडर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु जेंडर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट स्थापित की गयी है। यह समिति जिसमें मुख्य रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना संज्ञान में लेती है व कार्यवाही करती है।

18. सम्पर्क सूत्र

प्राचार्य : **7409783331**

विभागाध्यक्ष शिक्षक शिक्षा विभाग (बी0एड0) : **9639201174**, **6398205879**

विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग (बी0पी0एड0) : **8318521617**, : **9452728237**

कार्यालय अधीक्षक : **9690737608**

बी0ए0 पाठ्यक्रम :

बी0ए0 पाठ्यक्रम 3 वर्षीय है, जिसे 6 सेमेस्टर में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्येक सेमेस्टर में विषय चयन निम्नवत् होगा–

प्रथम सेमेस्टर :– प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी को दो मुख्य विषय Discipline Specific Core Course (DSCC) के साथ एक प्रश्न पत्र Core Compulsory (CC) English Language -I तथा । bility In Hands Mint Compulsory Course (AECC-1) से पर्यावरण विज्ञान लेना अनिवार्य है।

1. मुख्य विषय प्रथम (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
2. मुख्य विषय द्वितीय (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
3. English language -1 (CC)
4. पर्यावरण विज्ञान (AECC-1)

द्वितीय सेमेस्टर : – द्वितीय सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी को दो मुख्य विषय Discipline Specific Core Course (DSCC) के साथ हिन्दी भाषा और साहित्य : हिन्दी भाषा (MIL-1) तथा हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण शास्त्र अथवा English Communication में कोई एक प्रश्न पत्र चनुना अनिवार्य होगा।

1. मुख्य विषय प्रथम (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
2ण मुख्य विषय द्वितीय (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
3. हिन्दी भाषा और साहित्य : हिन्दी भाषा (MIL-1)
4. हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण शास्त्र अथवा English Communication (AECC-2)

तृतीय सेमेस्टर :– तृतीय सेमेस्टर में दो मुख्य विषय के साथ किसी एक मुख्य विषय (दोनों में से एक) का Skill Based -1(SEC-1) तथा Core Complusory (CC) के अंतर्गत English Language -II लेना होगा।

1. मुख्य विषय प्रथम (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
2. मुख्य विषय द्वितीय (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
3. English Language –II (CC)
4. Skill Based -1(SEC-1) (मुख्य दोनों विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित)

चतुर्थ सेमेस्टर :– चतुर्थ सेमेस्टर में दो मुख्य विषयों के साथ एक मुख्य विषय (जिसे तृतीय सेमेस्टर में SEC-1 के रूप में चयनित न किया गया हो) से संबंधित Skill Based -2(SEC-2) तथा हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास : हिन्दी भाषा (MIL-2) का चुनाव करेंगे।

1. मुख्य विषय प्रथम (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
2. मुख्य विषय द्वितीय (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
3. Skill Based -2(SEC-2) (दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय मुख्य विषय से संबंधित तथा जो तृतीय सेमेस्टर में न लिया गया हो।)
4. हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास : हिन्दी भाषा (MIL-2)

पंचम सेमेस्टर :– पंचम सेमेस्टर में दो मुख्य विषयों के साथ, दोनों में से किसी एक मुख्य विषय से संबंधित Skill Based -3(SEC-3) तथा Generic Elective -1(GE-1) का चुनाव करेंगे। GE-1 दोनों मुख्य विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय से संबंधित होगा।

1. मुख्य विषय प्रथम (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
2. मुख्य विषय द्वितीय (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
3. Skill Based -3(SEC-3) (दोनों मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय से संबंधित)
4. GE-1 (दोनों मुख्य विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय से संबंधित)

षष्ठम सेमेस्टर :– दो मुख्य विषयों के साथ Skill Based -4(SEC-4) का प्रश्नपत्र होगा, जो मुख्य विषयों में से SEC-3 के रूप में पंचम सेमेस्टर में चयनित नहीं किया गया होगा तथा एक प्रश्नपत्र Generic Elective -2(GE-2) होगा, जो Generic Elective -1(GE-1) के रूप में चयनित किया गया हो।

1. मुख्य विषय प्रथम (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
2. मुख्य विषय द्वितीय (हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान)
3. Skill Based -4 (SEC-4) (दोनों मुख्य विषयों में से तथा जिसे पंचम सेमेस्टर में चयनित नहीं किया गया हो।)
4. Generic Elective -2 (GE-2) (Generic Elective -1 के विषय से संबंधित)

शपथ–पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनिमय 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :–
   a मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   b मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी तथा उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   c मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

हस्ताक्षर
नाव व पता

माता/पिता/अभिभावक का शपथ–पत्र प्रारूप

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिमय एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

हस्ताक्षर
नाव व पता

अथवा

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एंटी रैगिंग शपथ–पत्र हेतु www.amanmovement.org पर लॉगआन कर तथा समस्त ऑनलाइन प्रविष्टियाँ पूर्ण करने के पश्चात् पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ–पत्र को जमा करें।

राठ महाविद्यालय पैठाणी

(सम्बद्धः हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल)

पुस्तकालय उपयोगार्थ नियमावली

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें समय-सारणी के अनुसार 28 दिन के बाद आवंटित होगी, अगर कोई छात्र/छात्रा निर्धारित अवधि तक पुस्तकालय में पुस्तकें वापिस नहीं करता/करती है तो उसे प्रतिदिन एक रुपया विलम्ब शुल्क के रूप में अर्थदण्ड देना होगा।

2. छात्र/छात्राओं को पाठ्य सामग्री का आवंटन निर्देशित समय-सारणी के अनुसार ही किया जायेगा।

3. छात्र/छात्रा द्वारा पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए पुस्तक का नाम, लेखक, कक्षा आदि का विवरण सहित पुस्तकालय में देने के दूसरे दिन पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु उक्त मांग पत्र की तीसरे दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जायेगा।

4. सन्दर्भ सामग्री तथा अध्ययन कक्ष सामग्री का उपयोग पुस्तकालय के अन्दर ही किया जायेगा, पुस्तकालय से बाहर के लिए इसे आवंटित नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित पाठ्य सामग्री को अन्य पाठकों की आवश्यकता के अनुसार कभी भी वापस पुस्तकालय में जमा करने को कहा जा सकता है। महाविद्यालय परीक्षाओं से पूर्व पुस्तकालय की समस्त सामग्री वापस करना अनिर्वाय होगा।

6. आवंटित पाठ्य सामग्री की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व प्राप्तकर्ता पाठक का होगा, अतः आवंटित हो रही सामग्री की पूर्ण जांच कर पाठक संतुष्ट हो लें। पाठ्य सामग्री खो जाने पर या फट जाने पर नवीन संस्करण या पुस्तक की वर्तमान मूल्य पुस्तकालय में जमा करना होगा।

7. पुस्तकालय नियमों/व्यवस्था के विरूद्ध आचरण करने पर पुस्तकालय समिति का अधिकार होगा कि वह पाठक को पुस्तकालय उपयोग से वंचित कर दे या विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा।

8. अदेयता प्रमाण-पत्र के इच्छुक छात्र/छात्रा को आवेदन प्रार्थना पत्र पुस्तकालय में देने के दूसरे दिन अदेयता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावाया जायेगा।

9. जिन छात्र/छात्राओं को विभागीय पुस्तकालय से पुस्तकें आवंटित की जाती हैं उन्हें नियम-1 के अनुसार पुस्तकें आवंटित करना सम्भव नहीं होगा।

10. पुस्तकालय से आवंटित पुस्तक एवं व्यक्तिगत पाठ्य सामग्री अध्ययन हेतु पुस्तकालय में लाना वर्जित है।

2019/4/27

Raath Mahavidyalaya Paithani

Pauri Garhwal, Uttarakhand (246123)
Ph. No. : 01348 227620, E-mail : rmvpaithani@gmail.com
Website : www.raathmahavidyalaya.com